
राजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (*') प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 1995] No. 1995]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2013/भाद्र 1, 1935

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2013/BHADRA 1, 1935

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2013

का.आ. 2594(अ). — यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2739 (अ), दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 द्वारा झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के 40.500 किलोमीटर —114.000 किलोमीटर (हजारीबाग—रांची) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्गित किया गया है) को सौंपा है;

और यत: केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क का संग्रहण करने हेतु, सा.का.नि 838 (अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 बनाये हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, रामय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम 2008, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा पूर्ण की गई सड़क खण्ड की निवल लग्बाई 53,607 किलोमीटर के लिए चार या अधिक लेन के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्म (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) पर और 20.183 किलोमीटर लग्बाई वाले बाइपास, जिसकी लागत वस करोड़ उपये या अधिक है, के उपयोग के लिए झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर 40.500 किलोमीटर—114.000 किलोमीटर (हजारीबाग—रांची सेवशन) तक के खण्ड हेतु नीचे सारणी 1 के रताम (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार वर के डेढ़ गुना की वर से शुल्क उदग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यग से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:—

3686GI/2013

(1)



वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोगीटर शुल्क की आधार दर (रूपए में)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	(2)
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन अथवा मिनी बस	0.65
बस या ट्रक (दो घुरी वाले)	1.05
ीन धुरी वाले वाणिजियक वाहन	2.20
गरी संनिर्माण मधीन (एचसीमार) अधन किस कर दे	2.40
(इंएगई) या मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (चार से छह घुरी वाले) एडे आकार वाले यान (सात या अधिक घुरी वाले)	3.45
र रास्त सं लानक बैरा वाल)	4.20

नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगा ::

टोल प्लाजा का अवस्थान (वैनेज) तंबाई ग्पूर्ण खण्ड को पूर्ण करने से पूर्व	(किलोगीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय ह
3.930 किलोमीटर / चैनेज पर (रांची जिले में पुंडम गांव के पास)	
	53.607
पूर्ण खण्ड को पूर्ण करने के पश्चात्	
930 किलोमीटर / चैनेज पर (रांची जिले में पुंडम गांव के पास)	
पर (राया जिल म पुड़ग गाव के पास)	53.607

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपये या अधिक की लागत वाले निम्निलिखित बाइपासों के उपयोग हेतु निम्निलिखित टील प्लाजा पर, ऐसे टील प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपासों की लम्बाई हेतु, ऊपर सारिणी 1 में उल्लिखित आधार दर के ढेढ गुना की दर से निम्नानुसार शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा का अवस्थान (वैनेज) सम्पूर्ण खण्ड को पूर्ण करने से पूर्व	बाइपास की लंबाई (किलोगीटर में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
98.930 किलोमीटर (रांची जिले में पुंडम गांव के पास)	4.46 (कुण्णू बाइपास)
सम्पूर्ण खण्ड को पूर्ण करने के पश्चात्	Market State of the State of th
98.930 किलोमीटर (रांची जिले में पुंडग गांव के पास) 98.930 किलोमीटर (रांची जिले में पुंडग गांव के पास)	4.46 (कुण्णू बाइपास)
(अवराजन मुख्य गाव के पास)	15.723 (रामगढ़ बाइपास)

जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टील प्लाजा से बीस 5. जिस ब्यास का जबना बाजक वाहन, नर-बाजाजक प्रयोजना के लिए बजाकृत हुआ हा जार वह जल ब्याजा से बास किलोमीटर तंक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2013—14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सी पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक

राजगार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात् :

संदेय राशि	अनुझात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना मधास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की	दो	रांदाय के समय से वीबीस घंटे
राशि का दो-तिहाई	पचारा	संदाय की तारीख से एक माह

5. जिस जिले में दोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय अनुजा पत्र के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्त कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यात्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुझेय भार की अपेक्षा अधिक गार से लदे हुए होंगे उन दशें पर शुल्क का सदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजगार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक िक ऐसे यात्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

 यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुझेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक राडक आदि सिंहत सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होगी ।

 उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी —1 में यथा—उिल्लेखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसे प्रकाशित किया जाएगा उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक आधार पर आगे और रांशोधन किया जायेगा तथा उसे, तदनुसार अंग्रेजी और रथानीय भाषा के कम—से—कम एक—एक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा ।

10. परियोजना की अनुमानित लागत 625.07 करोड़ रुपये हैं। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के माध्यम से पूंजीगत लागत का लेखा रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद, लगाये जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार उनमें वार्षिक आधार पर संशोधन किया जाएगा।

[सं. भाराराप्रा / 13013 / 695 / सीओ / 12—13 / जीसी—रांची (40.5—114.0)] अलकेश शर्मा, संयुक्त सर्विव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2013

S.O. 2594 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2739(E), dated the 30th October, 2009, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 40.500 - Km 114.000 (Hazaribagh- Ranchi) of National Highways No. 33 in the State of Jharkhand to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net completed road section length of 53.607 Km (hercinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections and at one and one half times the base rate for bypasses of length 20.183 Km costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the section from Km. 40.500 – Km 114.000 (Hazaribagh- Ranchi Section) on the National Highway No. 33 in the State of Jharkhand and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table I		
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)	
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	(2)	
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	0.65	
Bus or Truck (Two Axics)	1.05	
Three-axle commercial vehicles	2.20	
Heavy Construction Machinery (UCM) - F. d. M.	2.40	
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45	
Oversized Vehicles (seven or more axles)		

 The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Before completion of whole stretch	T congrit (in kin) for which ree is payable
Km/Ch. At 98.930 (near Village Pundag in Ranchi District)	53.607
After completion of whole stretch	
Km/Ch. At 98.930 (near Village Pundag in Ranchi District)	53.607

2. In addition to above, the fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plaza at one and half times of the base rate mentioned in Table 1 above for the length of bypasses specified for such Toll Plaza as under:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of bypasses (in km) for which additional fee is payable
Before completion of stretch	1 sypasses (in kin) for which additional fee is payable
Km 98.930 (near Village Pundag in Ranchi District)	4.46 (Kujju bypass)
After completion of whole stretch	
Km 98.930 (near Village Pundag in Ranchi District)	4.40 (Rujju bypass)
Km 98.930 (near Village Pundag in Ranchi District)	15.723 (Ramgarh bypass)

- 3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of (wenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey Two-third of amount of the fee payable for		Twenty four hours from the time of payment
fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

- 5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
- 8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
- Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and published and will further be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
- 10. The estimated capital cost of the project is Rupees 625.07 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[No. NHAI/13013/695/CO/12-13/GC-Ranchi (40.5-114.0)]
ALKESII SHARMA, Jt. Secy.